(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 145-PBR/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 463/2015–16/अपील.

अजयशंकर शर्मा पुत्र श्री इन्द्रदेव शर्मा
निवासी 40 अचलेश्वर विहार कालोनी,
ग्वालियर

.... आवेदक

विरूद्ध

ममता पाराशर पत्नी श्री सतीश पाराशर
निवासी न्यू गायत्री विहार रमटापुरा
तहसील व जिला ग्वालियर

.... अनावेदक

....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २।१।१८ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह ग्राम रमटापुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 227/2 रकबा 0.052 हेक्टेयर का भूमिस्वामी है। उक्त भूमि का बटांकन उपरांत सीमांकन कराये जाने पर रकबा 5595 वर्गफुट में से 1004 वर्गफुट पर अनावेदक का कब्जा पाया गया है अतः कब्जा दिलाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 2–11–13 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–2–16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 668–पीबीआर/14 में दिनांक 10–9–14 को पारित आदेश को सही तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समझा नहीं गया। इस न्यायालय के आदेश के पालन में बटांकन कार्यवाही में पूर्व वटांकन होने के फलस्वरूप दिनांक 20–5–16 द्वारा समाप्त किया जा चुका है। इस संबंध में साक्ष्य अपीलीय न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत की जा चुकी है इसके बावजूद आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि अभिलेख के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित होते हुये कि कथित विकय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते है और उसका आधिपत्य अवैध हो जाता है जिसे हटाया जाना नितान्त आवश्यक है इसके बावजूद आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में बटांकन हो चुका है अतः दुबारा बटांकन किये जाने से रेस जूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है और प्रश्नाधीन भूमि का दुबारा बटाकन नहीं किया जा

सकता है । इसके बाबजूद तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि एवं न्याय के अनुरूप आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(2) तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र साक्ष्य से प्रमाणित होने के बावजूद भी निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि व्यपवर्तित भूमि है जिस पर संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर भवन बना हुआ है इस कारण भी संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक द्वारा मकान बनाया जाकर परिवार सहित लगभग 8 वर्ष से निवास किया जा रहा है तथा मकान बनाने में अनावेदक द्वारा लाखों रुपये खर्च किये गये हैं ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि तहसील न्यायालय ने दिनांक 20–5–2016 को वर्ष 1988 के बटांकन की पुनः पुष्टि कर दी है, जबकि अपर आयुक्त ने अपना निष्कर्ष इस आधार पर निकाला है कि बोर्ड ने पूर्व में बटांन निरस्त कर दिया था। इस तथ्य के प्रकाश में प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर

आयुक्त को पुनः तथ्यों की जॉच कर संहिता की धारा 250 के प्रकरण में गुणदोष पर अपील का निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—11—2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपील में गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.